राजस्व अपील संख्या 162/2022

अनवान

देवीदानसिह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

दिनांक 13 –04–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा आदेश क्रमांक/राज/2021/61 दिनांक 15–3–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट श्री अजीत दैया उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–3–2021 का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने अपीलाधीन आदेश के जरिये तरमीम दुरस्ती करने मे धारा 131,132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का बिलकुल ग़लत अर्थ निकाला कर अपीलार्थीगण की सह खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मे से गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया, उक्त आदेश क्षैताधिकार के विपरित पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने अपीलाधीन भूमि के किसी खातेदार को बिना पक्षकार बनाये बिना नोटिस दिये उसकी खातेदार की भूमि के रकबे मे परिवर्तन एवं नक्शे मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यह भी कथन किया कि धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे किसी खातेदार की भूमि मे रकबे को कम या अधिक करने एवं नक्शे मे स्वःप्रेरणा से परिर्वतन करने का प्रावधान नही है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनसुार भी किसी खातेदार की भूमि मे राजस्व रेकर्ड मे अगर कोई परिर्वतन किया जाता है तो प्रभावित खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा यह भी कथन किया कि

रास्ते के लिए पृथक से धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान दिये हुए है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना ही जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी शेरगढ का आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर,, मौका की जांच करवाकर खातेदारान की सहमति से पुनः विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने अपील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एव अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2021 जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–3–2021 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण आदि कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित अपीलान्टगण के खातेदारी ग्राम नाहर सिह नगर के खसंरा नम्बरान के सम्बध मे किसी तरह की कार्यवाही नही करे। अतिरिक्त इस निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर